


फर्द अहकाम

अभिषेक यादव व अन्य बनाम राजस्थान सरकार

ना पत्र संख्या: ..... 341/2024

क्र	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
2024	<p>प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र बाबत 131, 136 भू-राजस्व अधिनियम 1956 का पेश किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया बहस प्रार्थी सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया एवं अंत में निवेदन किया कि हाल खसरा न0 326/116 रकबा 0.22 है0, खसरा न0 341/117 रकबा 0.06 है0, खसरा न0 342/117 रकबा 0.30 है0, खसरा न0 122 रकबा 0.14 है0, खसरा न0 329/116 रकबा 0.150 है0, खसरा न0 328 / 116 रकबा 0.0150 है0 वाके ग्राम रामसिंहपुरा बास तहसील सांगानेर जिला जयपुर की विधिवत बटवारां के साथ सलंगन नक्शाट्रेस के अनुसार की गई तरमीम के अनुसार हाल नक्शाट्रेस मे तरमीम कर दुरुस्त किये जाने के आदेश फरमाने की कृपा करे।</p> <p>बहस प्रार्थी एवं प्रार्थना पत्र का अवलोकन कराने पर प्रार्थी की ओर से पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 भू-राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सांगानेर को वाके ग्राम रामसिंहपुरा बास तहसील सांगानेर जिला जयपुर में स्थित प्रार्थीगण एवं अन्य की संयुक्त भूमि में तहसीलदार सांगानेर के समक्ष हुये दिनांक 24.03.2021 के विधिवत बटवारा की पालना करते हुये बटवारा के साथ सलंगन नक्शाट्रेस के अनुसार की गई तरमीम के अनुसार हाल नक्शाट्रेस मे तरमीम कर दुरुस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है।</p> <p>निर्णय आज दिनांक 07.11.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p>	

  
उपखण्ड अधिकारी  
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

